न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 46 / 2016 **दायर दिनांकः 15.07.2016**

उनवान

1. सरला नेलसन आयु 70 वर्ष पत्नी नेलसन जाति इसाई निवासी पिपलोद
2. आस्टिन उम्र 48 वर्ष पुत्र नेलसन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोनू आयु 35 वर्ष पुत्र वाल्टर जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू भूमिधारी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट एवं 151 सीपीसी.

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर गुप्ता।

अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

निर्णय दिनांक 09 / 06 / 2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ग्राम पिपलोद के कृषक है तथा प्रार्थीगण की खाते की आराजी ग्राम पिपलोद में स्थित है। प्रार्थीगण को अपनी फसल तैयार करने हेतु ग्राम पिपलोद में खलियान डालने के लिए फसल तैयार करने व कृषि यंत्र ट्रेक्टर ट्रोली आदि खडी करने व जानवरों को बांधने के लिए 60×60 का भूखण्ड ख0नं0 534 खलियान रकबा 2.05 है0 में स्थित है जो प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही अर्सा 100 वर्षों से प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व में चला आ रहा है जिसमें चारों ओर पत्थरों का कोट हो रहा है। तथा प्रार्थीगण का ट्रेक्टर खडा रहता है। जिसे नजरी नक्शा में A.B.C.D. अंकों से दर्शाया गया है तथा संलग्न मानचित्र प्रार्थना पत्र को एक भाग है। जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्न प्रकार है। पूर्व में खलिहान दीपू पुत्र डेनियल इसाई पश्चिम में खलिहान बोक्स इसाई उत्तर में खलिहान हनुप व राजू इसाई का तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। प्रार्थी का उक्त प्लांट खलिहान 60×60 जिस पर पत्थर का कोट हो रहा है उसका स्वामित्व सुखाधिकार

प्रार्थीगण को प्राप्त हो चुका है तथा उसमें किसी अन्य को हस्क्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त भू–खण्ड पर अप्रार्थी नं0 1 ने दिनांक 25.04.2009 को पत्थर डालना प्रारम्भ कर दिया तथा मना करने पर कहा कि मेने पंचायत अर्डान्द से इस जगह का पटटा बनवा लिया है। तथा उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर व राजनैतिक दबाव से अप्रार्थी प्रार्थी के भू–खण्ड पर कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थीगण ने एक वाद माननीय सिविल न्यायाधीश क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अटरू की अदालत में पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश से अप्रार्थी को पाबन्द किया गया था फैसला वाद दिनांक 16.07.2009 को हुआ तथा वाद का निस्तारण दिनांक 18.05.2016 को हुआ उसमें माननीय न्यायालय ने गै0मु0 खलिहान को राजस्व भूमि मानते हुऐ माननीय राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मानते हुये खारिज कर दिया तनकी नं0 3 (उसमें तथा प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी का पटटा दिनांक 21.06.1995 को फर्जी मानकर निरस्त कर दिया उक्त खलिहान पर प्रार्थीगण आज भी काबिज है। किन्तु अप्रार्थी नं0 1 पुलिस थाना अटरू से सांठ गांठ कर आज भी प्रार्थीगण के खलिहान पर कब्जा करने की नियत रखता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को रोकने के लिए माननीय न्यायालय मे वाद पेश कर दिया है जिसमें कामयाबी की पूरी संभावना है तथा यदि अप्रार्थी नं0 1 को माननीय न्यायालय द्वारा रोका नही गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्यथा संभवन नहीं होगी। उक्त प्लांट पर प्रार्थीगण का कब्जा 100 वर्षों से पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है। यदि अप्रार्थीगण को जर्ये निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी चूंकि प्रार्थीगण उक्त प्लांट पर काबिज है अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। अप्रार्थी नं0 1 का उक्त कृत्य गैर कानूनी तथा अवैधानिक है उसके कृत्य को बिना सहायता न्यायालय रोका जाना संभव प्रतित नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रार्थी राजनेतिक दबाव व पुलिस का दबाव डालकर प्रार्थीगण को अपनले कब्जे शुदा भू–खण्ड से गैर कानूनी रूप से बेदखल करने पर आमादा है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता से रोका जाना संभव नहीं है। यदि अप्रार्थी प्रार्थीगण को बैदखल करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्यथा संभव नहीं होगी। अप्रार्थीगण प्रतिवादी नं0 1 को जर्ये आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे शुदा भू–खण्ड जिसमें प्रार्थीगण का ट्रेक्टर व कृषि यंत्र रखे रहते जिस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में A.B.C.D. अंकों से दर्शित किया है। न तो स्वयं मदालखत करे (कब्जा करने की कोशिश करे) न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। आशय की निषेध आज्ञा से अप्रार्थी नं0 1 को पाबन्द फरमाया जावे

कि वह प्रार्थीगण के कब्जे शुद्धा भू–खण्ड पर स्वयं कब्जा न करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। अन्य तथ्य मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थी को इस आशय की आदेशात्मक निषेध आज्ञा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे वह प्रार्थीगण के कब्जे शुद्धा प्लाट संलग्न मानचित्र में दर्शित A.B.C.D. अंकों से प्रदर्शित भू–खण्ड पर जिस पर प्रार्थीगण का पत्थरों का कोट हो रहा है। उस पर किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करें न तो ऐसा कृत्य स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तथा प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 पूरा ही असत्य बनावटी तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से अस्वीकार है। प्रार्थीगण गलत एवं झूठे तथ्यों पर दावा करके अप्रार्थी के स्वामित्व की जगह पर कब्जा बनाना चाहते है। प्रार्थीगण ने न तो कभी खलियान डाले अभी पिछले 6 माह से आये दिन अप्रार्थी के स्वामित्व के भूखण्ड पर कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 झूठा दर्ज किया है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 पूरा ही अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने विवादित खाल पर कभी भी खलियान नहीं डाला है। अप्रार्थी ने अपने स्वामित्व की जगह में पक्का तामीर कार्य कर रहा है। उस तामीर कार्य के स्थान को प्रार्थीयागण हथियाना चाहते है। कब्जा करना चाहते है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है।

विशेष कथन

प्रार्थीगण के विवादित स्थल बाबत किसी भी प्रकार का स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज मौजुद नहीं है। विवादित स्थल ख0नं0 534 में जिस स्थान पर प्रार्थीगण कब्जा कर रहा है। वह राजस्व भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है। पत्रावली में इस बाबत दस्तावेज कमीश्नर महोदय तहसीलदार साहब अटरू की रिपोर्ट काबिल गौर है। विवादित स्थल आबदी में होने की वजह से माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विवादित स्थल आबादी ख0नं0 में स्थित है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत का अप्रार्थी के पास मौजुद है। प्रार्थीयागण का न तो प्रथम दृष्टया केस है। और न ही न्याय का

सन्तुलन तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थना पत्र काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थीयागण द्वारा पूरा ही वादपत्र तथा प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथा झूठे बनवटी काल्पनिक तथ्यों पर पेश किया गया है। जो काबिल निरस्तनीय है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावे। अतः माननीय न्यायालय में अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थीयागण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

3. साक्ष्य प्रार्थी के तहत Aw1 से Aw5 के शपथ पत्र पेश किये गये। Aw1 सरला नेल्सन पत्नि नेलसन जाति ईसाई निवासी पिपलोद, Aw2 आस्टिन पुत्र नेलसन जाति ईसाई निवासी पिपलोद द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया कि मेरा ग्राम पिपलोद में खलिहान है जो अपनी फसल तैयार करने हेतु व कृषि यंत्र ट्रेक्टर ट्रोली खडी करने व जानवरों को बांधने के लिए 60×60 वर्गफुट का भूखण्ड ख.नं. 534 का रकबा 2.00 है0 में स्थित है जो हमारे पूर्वजों के समय से ही लगभग 100 वर्षों से मेरे कब्जे व स्वामित्व में चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड में चारों और पत्थरों का कोट मैने करवा रखा है तथा हमारा ट्रेक्टर खडा रहता है। उक्त भूखण्ड की चतुर्थ सीमाये निम्न प्रकार है–

पूर्व– खलिहान दीपू ईसाई पश्चिम– बोक्स ईसाई

उत्तर– खलिहान हनूप व राजू ईसाई दक्षिण– आम रास्ता

के मध्य भूखण्ड स्थित है।

Aw3 एरिक्सिन पुत्र आयुब जाति ईसाई निवासी पिपलोद, Aw4 सेम्युअल पुत्र दानियल जाति ईसाई निवासी पिपलोद द्वारा अपने शपथ पत्र में बताया कि प्रार्थीगण सरला नेलसन, आस्टिन व अप्रार्थी मोनू को जानता हूं। यह हमारे गावं पिपलोद के रहने वाले है। प्रार्थीगण के कब्जे शुदा भूखण्ड के पास में मेरा मकान है जिसमें मै निवास कर रखा हूं। ग्राम पिपलोद में प्रार्थीगण का खलिहान अपनी फसल तैयार करने हेतु व कृषि यंत्र ट्रेक्टर ट्रोली खडी करने व जानवरों को बांधने के लिए 60×60 वर्गफुट का भूखण्ड स्थित है जो उनके पूर्वजों के समय से ही लगभग 100 वर्षों से प्रार्थीगण कब्जे व स्वामित्व में रहा है। उक्त भूखण्ड में चारों और पत्थरों का कोट प्रार्थीगण ने करवा रखा है तथा प्रार्थीगण का ट्रेक्टर खडा रहता है। उक्त भूखण्ड की चतुर्थ सीमाये निम्न प्रकार है–

पूर्व– खलिहान दीपू ईसाई पश्चिम– बोक्स ईसाई

उत्तर– खलिहान हनूप व राजू ईसाई दक्षिण– आम रास्ता

के मध्य भूखण्ड स्थित है।

4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी संवत 2065–2068 खाता संख्या 1 ख0नं0 534 का रकबा 2.05 है0 किस्म गै0मु0 खलियान भूमि सिवायचक राजस्थान सरकार के दर्ज खाता स्थित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले को अतिक्रमी माना जायेगा। प्रार्थी द्वारा उक्त राजकीय भूमि के 60×60 वर्गफीट भाग पर विगत 100 वर्षों के कब्जा का दावा तो किया है लेकिन अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थी के कब्जे का न तो किसी भी गिरदावरी या जमाबन्दी मे अल्लेख है और न ही धारा 91 एल.आर. एक्अ के जुर्माना की रसीदे हैं । प्रार्थी द्वारा पेश गवाहों नें अपने सशपथ बयानों मे उक्त लम्बे कब्जे की पुष्टि की है। ग्राम पिपलोद के उक्त राजकीय भूमि पर स्वामित्व को लेकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध सिविल न्यायालय में भी वाद दायर किया गया था जिसे 18.05.2016 को खारिज कर दिया गया। इससे पूर्व एक और सिविल वाद दिनांक 16.07.2009 को निर्णित हुआ था। उक्त दोनों सिविल वाद के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि ग्राम पिपलोद की विवादित राजकीय भूमि के स्वामित्व को लेकर दोनों पक्ष में विगत 14–15 वर्षों से न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे है। The Limitation Act 1963 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सरकारी भूमि पर कब्जे हेतु कब्जाधारी को कम से कम वर्षों तक शांतिपूर्ण, वास्तविक व खुला कब्जा सिद्ध करना पडेगा। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा 30 वर्षों के शांतिपूर्ण, वास्तविक व खुले कब्जे का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत अर्डान्द द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2009 भी पेश किया है यद्यपि सरपंच को कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त राजकीय भूमि के 60×60 वर्गफीट भूखण्ड पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1996 में तथाकथित पट्टा जारी करने के बाद से ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद जारी है अर्थात उक्त विवादित भूखण्ड पर किसी भी पक्षकार का शान्तिपूर्ण कब्जा नही रहा है।

अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान तर्क किया कि अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत अर्डान्द द्वारा दिनांक 21.06.1995 को पट्टा जारी किया गया और तभी से अप्रार्थी कब्जारत है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में कोई पट्टा विलेख पेश नहीं किया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं पंचायती राज अधिनियम 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत को केवल गै0मु0 आबादी भूमि पर ही

निर्धारित प्रक्रिया के तहत भू–पट्टा जारी करने का अधिकार है। राजकीय भूमियों पर पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत व सरपंच को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि ग्राम पंचायत अर्डान्द के सरपंच ने या ग्राम पंचायत ने सरकारी भूमि पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भू–पट्टा जारी किया है तो का यह कृत्य विधि– विरूद्ध होने से ऐसे सरपंच/ग्राम पंचायत के विरूद्ध राज्य सरकार जरिऐ तहसीलदार को नियमानुसार आई.पी.सी. के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिऐ। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 (अचल संपत्ति) में नियम–140 से 168 तक केवल आबादी भूमि के प्रबंधन के प्रावधान दिये गये है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रकरण न तो प्रथम दृष्टया प्रार्थी जो की विवादित राजकीय आराजी पर एक अतिक्रमी है, के पक्ष में प्रतित होता और न ही प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। विवादित आराजी पर स्वामित्व और कानूनी अधिकार अप्रार्थी 2 का है। प्रार्थी और अप्रार्थी दोनों ही गैर कूननी तरीके से उक्त सरकारी आराजी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। इसी प्रकार प्रार्थी शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अप्रार्थी न्याय के उद्देश्य को विफल करने के लिए विवादित राजकीय भूखण्ड को नष्ट या खुर्द बुर्द या रिमूव करना चाहता है। अप्रार्थी क्रम 2 की जिम्मेदारी है कि ग्राम पिपलोद की उक्त विवादित आराजी ख0नं0 534 पर से प्रार्थी व अप्रार्थी एवं अन्य अतिक्रमीयों को शीघ्र बेदखल कर कब्जा मुक्त करें।

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां